16

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक प. 2 (157) का/क-3/97 जयपुर, दिनांक 11.11.2003

परिपत्र

समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिवगण
समस्त शासन विशिष्ठ/उप सचिवगण
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)

विषयः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज संयुक्त जांच के आपराधिक प्रकरणों में जिनमें राज्य सेवाओं के अधिकारियों के साथ अराजपत्रित राजकर्मी भी लिप्त हैं, अभियोजन स्वीकृति के लिये राजस्थान सरकार में कार्मिक विभाग ही सक्षम प्राधिकारी।

राज्य सरकार के राजकर्मियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित वे प्रकरण जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किये जाते हैं उनमें प्रचलित व्यवस्थानुसार अभियोजन स्वीकृति के लिये राज्य सेवा के अधिकारियों के लिये कार्मिक विभाग द्वारा तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये संबंधित नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार संयुक्त जांच प्रकरणों में राज्य सेवा स्तर के अधिकारी के लिये कार्मिक विभाग तथा अराजपत्रित राजकर्मी के लिये संबंधित नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। यह देखा गया है कि ऐसे संयुक्त प्रकरणों में राज्य सेवा के अधिकारियों तथा अराजपत्रित राजकर्मियों के संबंध में अलग अलग स्तर पर कार्यवाही से कभी कभी समान प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी करने/नहीं करने के निर्णय भी अलग अलग हो जाते हैं जो सैद्धांतिक रूप से व न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः उक्त सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जहां राज्य सरकार के समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभियोजन स्वीकृति देने से संबंधित कार्यवाही राज्यसरकार में कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व की भांति सम्पादित की जायगी वहीं अब भविष्य में संयुक्त आपराधिक प्रकरण में यदि राज्य सेवा के अधिकारियों के साथ अराजपत्रित कर्मचारी भी लिप्त है तो उन सभी राजकर्मियों के संबंध में अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही एक ही स्तर अर्थात् कार्मिक विभाग द्वारा ही सम्पादित की जायेगी। यदि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीधे ही प्रशासनिक विभाग अथवा विभागाध्यक्ष को ऐसे संयुक्त जांच के मामले अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित करता है जिनमें राज्य सेवा के अधिकारी के साथ साथ अराजपत्रित राजकर्मी भी शामिल हैं, तो वे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित करते हुए ऐसे समस्त प्रकरण कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों को आपके अधीन समस्त विभागाध्यक्षों के ध्यान में लावें तथा इसकी पालना सुनिश्चित करावें।

(आर.एन.मीणा)
शासन प्रमुख सचिव

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री महोदय
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्री/राज्य मंत्रीगण
4. निजी सचिव मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिवगण

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कार्मिक, जन अभियोग एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर क्षेत्र, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संयुक्त आपराधिक प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ अराजपत्रित राजकर्मी शामिल हैं, के प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आर.एन.मीणा)
शासन प्रमुख सचिव